कीरबल – सुल्तान आदि कु. नं. 114/15

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.7.24	पत्रावली पेश। [illegible] वास्ते बहस दिनांक 22.7.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
22.7.24	पत्रावली पेश। [illegible] वास्ते बहस दिनांक 14.8.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
14.8.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.8.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.8.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 114/2015

1 बीरबल पुत्र सुखदेवाराम जाति बलाई निवासी ग्राम खूडी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मूलचन्द पुत्र मुकनाराम जाति बलाई निवासी ग्राम नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट/वादी

2 फूला (फौत)
2/1 ज्यानकी देवी पत्नी फूला
2/2 जगदीश (फौत)
2/2/1 सुगना देवी पत्नी जगदीश
2/2/2 विधा देवी पुत्री जगदीश
2/2/3 राकेश पुत्र जगदीश
2/2/4 निर्मला पुत्री जगदीश
2/3 नागर पुत्र फूला
2/4 बाबुलाल पुत्र फूला
2/5 रोशनी पुत्री फूला
2/6 किरण पुत्री फूला
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम खूडी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.
।

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 5

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 पटवारी हल्का खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
4 तहसीलदार तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादी संख्या 6, 7

5 राजेश कुमार बागडी पुत्र केशरदेव बागड जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 14 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

6 हरिप्रसाद पुत्र सुखदेवाराम
7 जितेन्द्र पुत्र सुखदेवाराम
8 मोहनी पत्नी सुखदेवाराम
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम खूडी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.
।

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादी संख्या 1,3,4

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध डिकी एवं निर्णय दिनांक 19.05.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ पीठासीन
अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक आरएएस दावा
संख्या 07/2015 बउनवानी मूलचन्द बनाम हरिप्रसाद
आदि दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील संख्या 121/2015

1 हरिप्रसाद पुत्र सुखदेवाराम
2 जितेन्द्र पुत्र सुखदेवाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 मोहनी पत्नी सुखदेवाराम
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम खूडी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. ।

अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 1,3,4

बनाम

1 मूलचन्द पुत्र मुकनाराम जाति बलाई निवासी ग्राम नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट/वादी

2 बीरबल पुत्र सुखदेवाराम जाति बलाई निवासी ग्राम खूडी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 2

3 फूला (फौत)
3/1 ज्यानकी देवी पत्नी फूला
3/2 जगदीश (फौत)
3/2/1 सुगना देवी पत्नी जगदीश
3/2/2 विधा देवी पुत्री जगदीश
3/2/3 राकेश पुत्र जगदीश
3/2/4 निर्मला पुत्री जगदीश
3/3 नागर पुत्र फूला
3/4 बाबुलाल पुत्र फूला
3/5 रोशनी पुत्री फूला
3/6 किरण पुत्री फूला
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम खूडी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. ।

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 5

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 पटवारी हल्का खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
5 तहसीलदार तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादी संख्या 6, 7

6 राजेश कुमार बागडी पुत्र केशरदेव बागड जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 14 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट
विरूद्ध डिकी एवं निर्णय दिनांक 19.05.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ पीठासीन
अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक आरएएस दावा
संख्या 07/2015 बउनवानी मूलचन्द बनाम हरिप्रसाद
आदि दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री पवन स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.8.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2015 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलें एक ही निर्णय के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट मूलचन्द ने ग्राम खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 37 के संदर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 12.05.2015 को विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 19.05.2015 को विभाजन की अंतिम डिकी जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अंतिम डिकी के विरूद्ध यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में प्राथमिक डिकी जारी किये बिना विचाराधीन अंतिम डिकी जारी कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की तामील कपट पूर्वक करवाई गई है। विचारण न्यायालय में सम्यक तामील नहीं हुई है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार नहीं किये गये है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए तहसीलदार से तैयार करवाने के आज्ञापक प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में आरएलडब्ल्यू 2003(1) राज पेज 431, आरआरटी 2014(1) पेज 258, आरआरटी 2014(2) पेज 1157, आरएलडब्ल्यू 2002 आरजे पेज 479, आरआरटी 2014(2) पेज 1136, आरआरटी 2005(2) पेज 1126, आरआरटी 2017(1) पेज 658, आरआरटी 2009—10 (सप्ली.) पेज 458 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2/अपीलांट के तामीलशुदा नोटिस संलग्न है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के उपस्थित नहीं मिलने पर चस्पांदगी से तामील करवाई गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 12.05.2015 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये है। इन विभाजन प्रस्ताव पर विचारण न्यायालय ने सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2/अपीलांट के तामीलशुदा नोटिस संलग्न है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के उपस्थित नहीं मिलने पर चस्पांदगी से तामील करवाई गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई दिनांक 12.05.2015 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये है। इन विभाजन प्रस्ताव पर विचारण न्यायालय ने सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 23.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर